

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
क्रमांक :- 142

दिनांक :- 18.2.21

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक द्वारा दिनांक 26.02.2021 को स्थानीय अवकाश घोषित करने पर एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक के प्रस्तावित शिशु देखभाल अवकाश के कारण इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 01 दिनांक 02.01.2021 में संशोधन किया जाकर दिनांक 26.02.2021 के स्थानीय अवकाश के लिए श्री उमेश वीर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई, जिला टोंक को एवं दिनांक 29.03.2021 के राजकीय अवकाश के लिये श्रीमती सावित्री सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को एवं दिनांक 11.03.2021 के राजकीय अवकाशों के लिये श्री अमर सिंह खारडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली, जिला टोंक को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अनिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्याय क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त ड्यूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है, तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही संबंधित अधिकारी के ड्यूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा। इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 01 दिनांक 02.01.2021 के क्रम में यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश एवं उक्त आदेश के संशोधित आदेश जारी होने के पश्चात् यदि संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होता है, तो उनके स्थान पर ड्यूटी ज्योईन करने वाले अधिकारी अथवा संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिंक अधिकारी नियमानुसार रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु अधिकृत होंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 143

दिनांक :- 18.2.21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/टोडारायसिंह/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक